सीमा-शुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा-शुल्क अभिप्रेत है।*

(ख) "सी वी डी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. परियोजना संबंधी आयातः

परियोजना संबंधी आयातों पर लागू 7.5% सीमा-शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ख. रसायन और पेट्रो रसायनः

(1) कच्चे और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा-शुल्क 5% से घटा कर 2% कर दिया गया है।

(2) फास्फोरिक अम्ल पर सीमा-शुल्क इसके उपयोग को ध्यान में न रखते हुए 5% की दर पर एकीकृत किया गया है

(3) विनिर्दिष्ट पालीमरों के विनिर्माण के लिए नाप्था पर वर्तमान में उपलब्ध सीमा-शुल्क छूट को वापस ले लिया गया है।

ग. निर्यात संवर्धन

(1) अकर्मित या मात्र तैयार किए मूंगा पर सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

(2) खुदरा पनीय जिरकार्निया पर सीमा-शुल्क 5% से घटा कर शून्य कर दिया गया है

(3) पनीय जिरकार्निया (पालिशकृत) पर सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है

(4) टूना चारे पर सीमा-शुल्क 30% से घटा कर शून्य कर दिया गया है।

(5) खेलकूद के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटा कर 5% कर दिया गया है

(6) निर्यात के लिए खेलकूद के सामानों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा-शुल्क 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष में निर्यातों के पोत पर्यन्त मूल्य के 3% तक।

घ. डेयरी/कुक्कुट

(1) बैक्टोफ्यूजिस पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(2) आहार संयोज्यों/पूर्व-मिश्रणों पर सीमा-शुल्क 30% से घटा कर 20% कर दिया गया है

ङ. सूचना प्रौद्योगिकी/इलैक्ट्रानिक उद्योग

(1) विनिर्दिष्ट समाभिरूप सीमा-शुल्क 10% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

(2) सूचना प्रौद्योगकी/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और इनपुटों पर सीमा-शुल्क 10%/7.5% से घटा कर अंत उपयोग के आधार पर शून्य कर दिया गया है।

(3) सैट-टॉप बाक्सों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमा-शुल्क 7.5% से घटाकर अंतउपयोग आधार पर शून्य कर दिया गया है।

च ओषधियां और किटें

(1) उत्पाद-शुल्क छूट के माध्यम से छह विनिर्दिष्ट ओषधियों/किटों, और प्रपुंज ओषधियों पर, उनके विनिर्माण के लिए सीमा-शुल्क को शून्य प्रतिशूल्क के साथ 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन ओषधियों का उपयोग कर्क रोग/मधुमेह/दमा/हेपेटाइटिस बी आदि के उपचार के लिए किया जाता है।

(2) इलिसा किटों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर पर सीमा-शुल्क को 10%/7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है

छ धातुएं

(1) लौह या इस्पात मेल्टिंग स्क्रेप पर सीमा-शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(2) एल्यूमिनियम स्क्रेप पर सीमा-शुल्क को 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ङ एनसीसीडीः

पोलिएस्टर फिलामेंट सूत पर वर्तमान उद्ग्रहणीय 1% राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक शुल्क को वापस ले लिया गया है।

झ अन्य अनुतोष उपायः

(1) टायर उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(2) हैलीकाप्टर सिम्युलेटर्स पर सीमा-शुल्क को 10% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ञ तंबाकू उत्पादः

सिगारों, चिरूट और सिगारिलो पर सीमा-शुल्क को 30% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

ट 4% अतिरिक्त सीमा-शुल्कः

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (मेगा विद्युत परियोजनाओं से भिन्न), पारेषण, उप-पारेषण और वितरण परियोजनाओं और उच्च वोल्टता पारेषण परियोजओं के लिए मालों पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5)के अधीन उदग्रहीत किए जाने वाले 4% अतिरिक्त सीमा-शुल्क की छूट को वापस ले लिया गया है।

ठ निर्यात शुल्कः

सभी प्रकार के क्रोमियम अयस्कों और सांद्रणों पर निर्यात शुल्क की दर को 2000 रु0 प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3000 रु0 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।

ड प्रकीर्णः

(1) संविदाओं में अस्थाई उपयोग के लिए आयातित पट्टाधृत उपस्कर के पुनः-निर्यात की अवधि को 12 मास से बढ़ाकर 18 मास कर दिया गया है। ऐसे आयातों पर लागू स्लैब दरों को पूर्व उपबंधित अर्द्धवार्षिक आधार के प्रति अब त्रैमासिक आधार पर उपबंधित किया गया है। दरों को भारत में मालों के प्रतिधारण की अवधि, पर निर्भर करते हुए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74(2) के अधीन अनुज्ञेय शुल्क वापसी की दरों के अनुरूप भी बनाया गया है। तथापि,जब इन पट्टाधृत मालों का पुनःनिर्यात किया जाता है, तो कोई शुल्क वापसी अनुज्ञेय नहीं होगी।

(2) ऐसे मालों की बाबत जिनका आयात के बाद उपयोग किया गया है के संबंध में शुल्क वापसी की दरों को संविदाओं में अस्थायी इस्तेमाल के लिए आयातित पट्टाधृत उपस्कर और मशीनरी को रखने की अवधि के आधार पर विहित संदेय शुल्क की दरों के अनुरूप बनाया गया है। ऐसे मालों पर अनुज्ञेय शुल्क वापसी की अवधि 36 मास से घटाकर 18 मास कर दी गई है।

(3) पॉलिमर लोंग रोड इसुलेटरों को उपलब्ध रियायती सीमा-शुल्क को केवल 765 के वी रेटिग को पॉलिमर लोंग रॉड इसुलेटरों तक निर्बधित कर दिया गया है।

(4) 0.177 कैलीवर की एयरगनों को सीमा-शुल्क और सीवीडी से छूट दी गई है। परिणामस्वरूप इन एयरगनों को 4% के अतिरिक्त शुल्क से भी छूट दी गई है।

(5) वैद्युत ऊर्जा पर प्रति 1000 केडब्ल्यूएच पर 2000 रु0 का टैरिफ विहित किया गया है। तथापि प्रभावी दर शून्य बनी रहेगी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

क. साधारण केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर दरः

उत्पाद-शुल्क (केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर) की दर को 16% से घटा कर 14% कर दिया गया है। 24%,12% और 8% की शेष मूल्यवर्धित दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

ख. सेक्टर विनिर्दिष्ट अनुतोष उपायः

I. ओषध और भेषजः

(क) सभी ओषधों (निर्मितियों) पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया हैः

(i) त्वरित जीवाणुरोधी पट्टियां, ज्वलन उपचार पट्टियां, कॉर्न रिमूवर आदि

(ii) जीवाणुरोधी शल्य चिकित्सा तांत, जीवाणुरोधी सोखनीय शल्य चिकित्सा और घावों आदि को बंद करने के लिए जीवाणुरोधी टिश्यु एडिहिसिव आदि

(iii) प्राथमिक चिकित्सा किटें, रक्त समूहन अभिव्यक्ति आदि।

(ग) एड्स रोधी ओषध एटाजनावीर और इसके विनिर्माण के लिए बहुल औषधियां को उत्पाद-शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

II **ऑटो क्षेत्रः**

निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क घटा दिया गया हैः

(क) छोटी कारों पर 16% से घटा कर 12%।

(ख) हाइब्रिड कारों पर 24% से घटा कर 14%।

(ग) इलेक्ट्रिक कारों पर 8% से घटा कर शून्य %।

(घ) अंतिम उपयोग के आधार पर इलैक्ट्रिक कारों के विनिर्दिष्ट हिस्से-पुर्जों पर 16% से घटा कर शून्य %।

(ङ) बसों और 13 व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लए अन्य वाहनों पर 16% से घटा कर 12% और ऐसे वाहनों की चेसियों पर 16%+10,000 रु0 से घटा कर 12%+10,000 रु0 कर दिया गया है।

(च) दोपहिया और यात्री तिपहियों (सात व्यक्तियों तक के लिए) 16% से घटा कर 12%।

III **खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरः**

(i) निम्नलिखित को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई हैः

(क) डिब्बाबंद मृदु नारियल पानी

(ख) पाव, मूडी (मुरमुरा) और सदृश

(ग) दूध जो खाद्य मेवों से युक्त है

(घ) चाय/काफी पूर्व मिश्रण

(ii) अंतिम उपयोग के आधार पर शीत भांडागार, शीत कक्ष या प्रशीतित वाहनों पर प्रतिष्ठापन के लिए विनिर्दिष्ट प्रशीतन उपस्करों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है।

(iii) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

(क) म्यूस्ली, कोर्न-फ्लैक और वैसे ही नाश्ते के अन्न

(ख) शर्बत

(ग) पैकेजिंग सामग्री,अर्थात् :

- खुले टॉप वाले सेनेटरी कैन
- अपूतिक पैकेजिंग पेपर
- अपूतिक बैग

IV **सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रः**

(क) बेतार डेटा मोडेम कार्डों को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। परिणामस्वरूप आयातित कार्डों को भी प्रतिशुल्क से छूट दी जाएगी। तथापि 4% का अतिरिक्त सीमा-शुल्क लागू रहेगा।

(ख) विनिर्दिष्ट समाभिरूप उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(ग) पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद-शुल्क 8% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है।

V **कागज और कागज उत्पाद**

(1) लेखन कागज, मुद्रण कागज और पैक करने वाले कागज पर उत्पाद-शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(2) किसी इकाई से एक वर्ष में 3500 मीट्रिक टन के समाशोधन तक, गैर-पंरपरागत कच्ची सामग्री से विनिर्मित कागज और कागज-उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है।

(3) (बांस/काष्ठ पल्प प्लांट संलग्न न रखने वाली) किसी इकाई से एक वर्ष में 3500 मीट्रिक टन से अधिक समाशोधन वाली, गैर-परंपरागत कच्ची सामग्री से विनिर्मित कागज और कागज-उत्पादों पर उत्पाद-शुल्क 12%से घटाकर 8% कर दिया गया है।

ग अन्य रियायतें:

(क) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है:

(i) कम्पोस्टिंग मशीन

(ii) मेंथोल/मेंथोल शल्क

(ख) निम्नलिखित पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है:

(i) जल शोधन और शुद्धीकरण युक्तियां

(ii) वेनीर और फ्लश दरवाजे

(iii) उष्मारोधी रबर टेंशन टेप

(iv) मार्कर पेन, हाइलाइटर आदि के लिए स्याही

(ग) पान मसाले, जिनमें तम्बाकू नहीं है, तथा सुपारी की मात्रा 15% से अधिक नहीं है, पर उत्पाद-शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क से भी छूट प्रदान की गई है।

घ सीमेंट

(क) बल्क सीमेंट पर उत्पाद शुल्क 400 रु0 प्रति टन से पुनरीक्षित कर 14% या 400 रु0 प्रति टन; जो भी अधिक हो', कर दिया गया है।

(ख) सीमेंट क्लिंकर पर उत्पाद-शुल्क 350 रु0 प्रति टन से बढ़ाकर 450 रु0 प्रति टन कर दिया गया है।

ङ सिगरेट:

वर्तमान में, सिगरेट पर उत्पाद-शुल्क उनके फिल्टर या नॉन-फिल्टर तथा लम्बाई पर निर्भर करते हुए विभिन्न दरों पर लगता है। नॉन-फिल्टर सिगरेटों को समान लम्बाई की फिल्टर सिगरेटों के बराबर करते हुए उन पर उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया गया है। नॉन-फिल्टर सिगरेटों पर उत्पाद-शुल्क (आधारिक+राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क+स्वास्थ्य उपकर) की संशोधित दरें निम्नलिखित हैं

क्रं0सं0	वर्णन	से	तक
		(रु0 प्रति 1000)	
	नॉन-फिल्टर सिगरेट		
1.	लम्बाई में 60 मि0मी0 से अनधिक	168	819
2.	लम्बाई में 60 मि0मी0 से अधिक किन्तु 70 मि0मी0 से अनधिक	546	1323

च पेट्रोलियम

ब्रांड नाम के बगैर विक्रीत मोटर स्पिरिट (एमएस)/हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर शुल्क की दरों को मूल्यानुसार+विशिष्ट दर' से निम्नानुसार शुद्ध 'विनिर्दिष्ट दर' में संपरिवर्तित किया गया है:

क्रं0सं0	वर्णन	से	तक
1.	मोटर स्पिरिट	6% + 13रु0 प्रति लिटर	14.35 रु0 प्रति लिटर
2.	हाई स्पीड डीजल	6% + 3.25रु0 प्रति लिटर	4.60 रु0 प्रति लिटर

ब्रांडेड ईंधनों पर शुल्क की दरें वर्तमान मूल्यानुसार सह विनिर्दिष्ट दरों को आकर्षित करती रहेंगी, अर्थात निम्नानुसार रहेंगी:

(क) मोटर स्पिरिट : 6%+13 रु0 प्रति लिटर

(ख) एच0एस0डी0 : 6%+3.25 रु0 प्रति लिटर

छ एन0सी0सी0डी0:

(1) मोबाइल फोनों पर 1% की दर से राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) अधिरोपित किया गया है। आयातित मोबाइल फोनों पर, यह शुल्क, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अधीन अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत किया जाएगा।

(2) पॉलिस्टर फिलामेंन्ट पर वर्तमान में उद्ग्रहणीय 1% का राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क वापस ले लिया गया है।

ज प्रकीर्ण:

(1) साधारण लघु उद्योग (एसएसआई) छूट का बोरों/थैलों के विनिर्माण में आबद्ध रूप से उपभोग किए गए एचडीपीई/पीपी टेपों पर विस्तार किया गया है। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(2) निर्यातोन्मुख इकाइयों, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों आदि से घरेलु टैरिफ क्षेत्र के लिए माल की निकासी को लागू शुल्क की दर वैसे ही मालों पर संदेय आधारिक सीमा-शुल्क+उत्पाद-शुल्क को 25% से वैसे ही माल पर संदेय आधारिक सीमा-शुल्क+उत्पाद शुल्क 50% तक पुनरीक्षित किया गया है।

(3) ''शटल रहित करघों'' पर उत्पाद-शुल्क छूट वापस ले ली गई है। अब इन मालों पर 8% उत्पाद-शुल्क दरों की कटौती के परिणामस्वरूप, विभिन्न मदों के लिए अधिकतम खुदरा कीमत से अनुज्ञात कटौती दरों में उपयुक्त रूप से कटौती की गई है।

(4) खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर उत्पाद-शुल्क से उद्ग्रहणीय विनिर्दिष्ट मालों पर उत्पाद-शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप ऐसे मालों के लए उपशमन दरों में समुचित रूप से पुनरीक्षण किया गया है।

झ सीमा-शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में संशोधनः

(जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो वित्त विधेयक के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे)

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 2 का खंड (घ) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, ''मालों'' में कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ शामिल है जिसको खरीदा जा सकता है और प्रतिफल के लिए बेचा जा सकता है ऐसे माल के लिए समझा जाएगा कि उसका विपणन किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिय, 1944 में धारा 3क अन्तःस्थापित की जा रही है जो केन्द्रीय सरकार को अधिसूचित मालों के सबंध में उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने में और उनकी प्रक्रिया अधिसूचित करने में समर्थ बनाएगी।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ख का, किसी उत्पाद-शुल्क पर संदत्त ब्याज के प्रतिदाय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 11घ का संशोधन किया जा रहा है ताकि केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा किसी उत्पाद-शुल्क माल पर निर्धारित शुल्क या विनिर्धारित और संदत्त शुल्क से अधिक व्यपदिष्ट शुल्क के रूप में संग्रहित शुल्क की रकम वसूलने के लिए या किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत व्यपदिष्ट किसी उत्पाद शुल्क मालों पर जो पूर्णतया छूट प्राप्त हैं या उन पर शून्य शुल्क कर प्रभार्य है, संग्रहीत शुल्क वसूलने के लिए सक्षम बनाएगा।

(5) केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11घघ का धारा 11घ के अधीन संग्रहीत रकमों पर ब्याज की वसूली के लिए उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 35ख का जहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति में आयुक्त (अपील) के द्वारा किसी अपील में पारित आदेश की वैधता और औचित्य पर राय की भिन्नता हो वहां भाग लेने को आधिकारिक मुख्य आयुक्त को निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 35ङ को जहाँ मुख्य आयुक्तों की समिति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के न्यायनिर्णयन अधिकार के रूप में पारित आदेश पर राय की भिन्नता रखती है, मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। धारा 35ङ का भी यह उपबंध करने के लिए कि अधिनियम की धारा 35ङ के अधीन पारित आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा, संशोधन किया जा रहा है।

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम,1944 में अपीलार्थी द्वारा, जो अपील में सफल होते हैं, अपील प्राधीकारी के आदेश की न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर अपीलार्थी द्वारा किए गए पूर्व जमा पर, यदि पूर्व जमा की रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो ब्याज के संदाय के लिए उपबंध करने के लिए धारा 35चच अन्तःस्थापित की जा रही है।

(9) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 39 का टिप्पण 16 यह विनिर्दिष्ट करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि धात्वीकरण की प्रक्रिया के अतिरिक्त लेमिनेशन या लेकरिग की प्रक्रिया भी विनिर्माण होगी।

(10) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के कतिपय अध्यायों के समतुल्य प्रक्रियाओं की परिभाषा को विनिर्माण केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2च(iii) में वर्णित विनिर्माण की परिभाषा के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(11) उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 की धारा 28ख को एक नई उपधारा अंतःस्थापित करके संशोधित किया जा रहा है जिससे केंद्रीय सरकार किसी माल के संबंध में निर्धारित या अवधारित या संदत्त शुल्क से अधिक सीमा शुल्क को व्यपदिष्ट करने के रूप में संग्रहीत किसी रकम या किसी ऐसे माल, जो पूर्णतः छूट प्राप्त है या शून्य शुल्क दर से प्रभार्य है, पर सीमाशुल्क को व्यपदिष्ट करने के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत किसी रकम को वसूल कर सके।

(12) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 को, सभी सीमा-शुल्क अधिकारियों को समन जारी करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(13) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 117 को शास्ति की अधिकतम रकम को विद्यमान दस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(14) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129क को संशोधित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश की वैधता या औचित्य पर अपील में पारित आदेश से भिन्न है, तो वह उस मामले को अधिकारिक मुख्य सीमा-शुल्क आयुक्त को निर्देश करेगी।

(15) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घ को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय न्यायनिर्णियन प्राधिकारी के रूप में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश के बारे में भिन्न है, तो वह मामले को बोर्ड को निर्दिष्ट करेगी। धारा 129घ को यह उपबंध करने के लिए भी संशोधित किया जा रहा है कि अधिनियम की धारा 129घ के अधीन पारित आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(16) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ङङ यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित की जा रही है कि अपीलार्थियों के पक्ष में विनिश्चय होने पर अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई रकमों पर यदि पूर्व में जमा की गई रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो, ब्याज का संदाय अपीलीय प्राधिकारी को न्यायनिर्णयण प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा।

(17) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 141 को उस रीति को विनियमित करने के लिए संशोधित किया जा रहा है जिसमें आयातित या निर्यातित माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित या अन्यथा संभाला जा सकेगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(18) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 158 को, किसी नियम के उल्लंघन के किए शास्ति की अधिकतम रकम को पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए और विनियमों के उल्लंघन के लिए दो सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

ञ. नियमों में संशोधन :

(1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 को भूतलक्षी प्रभाव से, कारखाने से निर्यात के लिए निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट अनुज्ञात करने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि निर्यात के लिए कारखाने से निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य मालों पर संदत्त शुल्क की रिबेट को भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञात किया जा सके।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि निर्यात के लिए कारखाने से निकासी किए गए उत्पाद-शुल्क्य मालों पर संदत्त शुल्क की रिबेट को भूतलक्षी प्रभाव से अनुज्ञात किया जा सके।

(4) सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 का निम्नलिखित परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जा रहा है :

(क) नियम 3 के उपनियम (4) का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि मोबाइल फोनों पर संदेय राष्ट्रीय विपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) की दशा में, उक्त एनसीसीडी के संदाय के लिए एनसीसीडी से भिन्न किसी अन्य उत्पाद-शुल्क का प्रत्यय नहीं लिया जाएगा। यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।

(ख) नियम 6 का शुल्क्य और साथ ही छूटप्राप्त मालों के विनिर्माण के लिए समान इनपुटों या इनपुट सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे विनिर्माता के लिए, जो पृथक लेखा रखने का विकल्प नहीं ले रहा है, निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। ऐसे विनिर्माता :

(i) छूटप्राप्त मालों के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुटों और इनपुट सेवाओं मद्दे प्रत्यय को (जिसे नियम में विहित रीति में संगणित किया जाना है) या तो उलट सकते हैं; या

(ii) छूट प्राप्त मालों के मूल्य (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4/4क के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाने वाले) के 10% की राशि का संदाय कर सकते हैं।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(ग) एक नए नियम 15क को अंत:स्थापित किया जा रहा है जिससे कि सेनवेट नियम, 2004 के ऐसे किन्हीं उपबंधों के, जिनके लिए कोई शास्तिक उपबंध विद्यमान नहीं है, उल्लंघन की दशा में 5000/- रुपए तक की साधारण शास्ति का उपबंध किया जा सके।

यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

(5) जहां खुदरा विक्रय मूल्य को पैकेजों पर घोषित नहीं किया गया है या जहां उनमें फेर-फार या परिवर्तन किया गया है या उन्हें मिटा दिया गया है वहां उसके अवधारण की रीति का उपबंध करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क(4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद-शुल्क्य मालों के खुदरा विक्रय मूल्य का अवधारण) नियम, 2008 जारी किया जा रहा है।

यह परिवर्तन 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगा।